

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अध्याय -2 की
धारा-4 (1) ख (4)

मैनुअल संख्या - 4

कार्यों के सम्पादन हेतु स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड

इस मैनुअल को तैयार करने में यद्यपि यथोचित सावधानियों बरती गयी है, तथापि इसके प्रकाशन में यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो कृपया कंपनी सचिव, कार्यालय उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड, उज्जवल, महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून पिन-248 006 को डाक द्वारा या फ़ैक्स नम्बर 2761549 या ई-मेल sec_ujvnl @ujvnl.co.in. पर सूचित करें ।

मैनुअल-4

कार्यों के सम्पादन हेतु स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड

निगम द्वारा कार्यों के सम्पादन हेतु प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश बनाने की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हो पायी है। तथापि परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद द्वारा बनाए गये सुस्पष्ट प्रक्रिया तथा मानक स्थापित हैं।

निगम की विभिन्न गतिविधियों के सुचारु संपादन हेतु विभिन्न मैनुअल जैसे क्रय नियमावली, भंडार नियमावली, कार्य स्थल अनुबन्ध नियमावली, लेखा नियमावली, मानव संसाधन नियमावली इत्यादि बनाने का कार्य विभिन्न चरणों में प्रारम्भ किया गया है।